संख्या- 19 /2021/880/अड़तीस-7-2021-223नरेगा/2012टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2021**

विषयः- नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के निकटतम संबंधी एवं परिवारीजन ग्राम रोजगार सेवक को अन्य निकटतम/रिक्त ग्राम पंचायत में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या-1799/38-7-2007-2एनआरईजीए /2005टीसी-1, दिनांक 23-11-2007 के बिन्दु-4 के क(3) में यह प्राविधान किया गया है कि ग्राम रोजगार सेवक के लिए उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। यदि ग्राम पंचायत से कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं है, तो निकटतम दूसरी ग्राम पंचायत से उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत निवार्चन 2021 संपादित हुए हैं। प्रदेश में कतिपय ग्राम पंचायतों में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों के निकटस्थ परिवारीजन मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम रोजगार सेवक के पद पर भी तैनात है, जिससे विभागीय कार्यों की पारदर्शिता एवं गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही योजना के उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 23-11-2007 के बिन्दु-4(छ), जिसमें संबंधियों के ग्राम रोजगार सेवक के रूप में रखने पर रोक का प्राविधान किया गया है, के क्रम में ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के निकटस्थ परिवारीजन ग्राम रोजगार सेवक के पद पर तैनात हैं, वहां नये ग्राम रोजगार सेवक का चयन किया जाना होगा। पुराने ग्राम रोजगार सेवक के अनुभव का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निकट के ग्राम पंचायत की सहमति से इनकी तैनाती उस ग्राम पंचायत में की जा सकती है अथवा आपसी सहमति से दो ग्राम पंचायतें अपने ग्राम रोजगार सेवकों का परस्पर स्थानान्तरण जनपद स्तरीय अधिकारी(जिलाधिकारी) को प्रस्ताव प्रेषित कर प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने के पश्चात कर सकती हैं।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत मामले में उक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 19 /2021/880(1)/अड़तीस-7-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
2. **निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
5. **गार्ड फाईल।**

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://sharanresult.up.gov.in